संख्या:162/2026/1052/35-4-2026/35-4002(003)/21/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चंदौली।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 29 जून, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना स्वीकृत कार्यों के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या- 79/2026/552/35-4-2026/35-4002(003)21/2026 दिनांक 30.03.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत 64 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि अवमुक्त की गयी है। मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली के पत्रांक 46/त्वरित आ0वि0/नाम संशोधन/2026-27 दिनांक 20 अप्रैल, 2026 एवं 253/त्वरित आ0 वि0/नाम संशोधन/2026-27 दिनांक 05 जून, 2026 के द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 की तालिका के क्रमांक-08 एवं 09 पर अंकित कार्यों के नाम में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश संख्या-79/2026/552/35-4-2026/35-4002(003)21/2026 दिनांक 30.03.2026 की तालिका के क्रमांक-08 एवं 09 पर स्वीकृत कार्यों के नाम को एतदद्वारा निम्नांकित विवरणानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

शासनादेश दिनांक 30.03.2026 का क्रमांक	शासनादेश दिनांक 30.03.2026 के अनुसार कार्य का नाम	संशोधित विवरण	लम्बाई (मी0 में)	स्वीकृत लागत (लाख रू. में)
8	विकास खण्ड शहाबगंज के ग्राम पंचायत रसियां में रामअवतार सिंह के घर से शहाबगंज गांधीनगर सम्पर्क मार्ग का सी०सी० रोड नव निर्माण कार्य।	विकास खण्ड शहाबगंज के ग्राम पंचायत रसियां में रामअवतार सिंह के घर से शहाबगंज गांधीनगर सम्पर्क मार्ग का रोड नवनिर्माण कार्य।	1200	55.34
9	विकास खण्ड शहाबगंज के ग्राम पंचायत लेहरा में छलका से लेकर चिरंजीव सिंह के खेत तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	विकास खण्ड शहाबगंज के ग्राम पंचायत लेहरा में छलका से लेकर चिरंजीव सिंह के खेत तक रोड का निर्माण कार्य।	1000	46.81

3- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026, उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:162/2026/1052(1)/35-4-2026/35-4002(003)/21/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, वाराणसी मंडल ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, चंदौली।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चंदौली।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चंदौली/हापुड़।
15- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, चंदौली।
16- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, चंदौली।
17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।